कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-62/2016-17/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत, हरिद्वार

विषय : जिला पंचायत हरिद्वार का वर्ष 2015 से 2016 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में 04 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 62/2016-17/ दिनांक : /01/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये जिला पंचायत, हरिद्वार पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी — अपर मुख्य अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस.के. वर्मा, स.ले.प.अ.

(ii) श्री के.एस चौहान, स.ले.प.अ.

(iii) श्री विशाल.कुमार. गुप्ता, स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 24.10...2016 से 03.11..2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2015 से 2016

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **जिला पंचायत, हरिद्वार**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-06

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र : -

जनसंख्या

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 42

3. (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 02

4. (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- बैठक : 06

5. कर्मचारियों की संख्या: 32

6. पंचायतराज की सम्पत्तियां: - दुकान एवं डाक बंगले

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -

8. योजनाओं की संख्या

9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

z(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय: `2935.92 लाख

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया- नहीं

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय जिला पंचायत, हरिद्वार, के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2015-2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस.के. वर्मा, स.ले.प.अ., श्री के.एस चौहान, स.ले.प.अ, श्री विशाल कुमार गुप्ता, स.ले.प.अ द्वारा दिनांक 24.10.2016 से 03.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) अनुपालना आख्या कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)को प्रस्तुत की गई है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-I**	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-II**
90/2015-16	शून्य	प्रस्तर-01से 05

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- (1) अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत की गई कटौतियों को खाते में रखा जा रहा था जबकि ऐसे खाते में रखा जाना चाहिए था जिस पर सा0भा0नि0 पर अर्जित ब्याज से कम ब्याज अनुमान्य न हो।

(2) तुलन पत्र नही बनाए जा रहे है।

(घ) अप्रस्तुत अभिलेखः - शून्य

भाग-तीन

ज़िला पंचायत-हरिद्वार के तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण

(धनराशि `लाख में)

क्रम संख्या	मद का नाम/ वित्तीय वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
	प्रारंभिक अवशेष	**443.14**	**900.66**	**1,013.10**
1	**राज्य वित्त आयोग**	1,159.92	1,159.92	1,641.97
2	**केंद्रीय वित्त आयोग**	770.70	521.99	0.00
3	**सांसद निधि**	2.50	0.00	0.00
4	**विधायक निधि**	0.00	0.00	0.00
5	**पर्यटन विकास**	0.00	0.00	24.02
6	**दैवीय आपदा**	0.00	0.00	0.00
7	**ब्याज़ से प्राप्तियाँ**	6.50	4.67	7.29
8	**निजी आय**	199.37	190.74	253.53
9	**प्रकीर्ण आय**	109.28	50.31	315.08
	वर्ष की आय	2,248.27	1,927.63	2,241.89
	कुल प्राप्तियाँ	2,691.41	2,828.29	3,254.99
	वर्ष के दौरान कुल व्यय	1,790.75	1,815.19	2,935.92
	अंतिम अवशेष	**900.66**	**1,013.10**	**319.07**

लेखाओं पर टिप्पणी:

1. वर्ष के अंत में एक बड़ी धनराशि अवशेष रहने का तात्पर्य है कि योजनाओं का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं किया गया।
2. ब्याज़ की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया जा रहा था।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1- निगरानी तंत्र के अभाव में माँ चंडी देवी रोपवे से टिकट रॉयल्टी के रूप में ज़िला पंचायत को वांछित राजस्व की प्राप्ति न होना।

ज़िला पंचायत, हरिद्वार के अंतर्गत माँ चंडीदेवी मंदिर में रोपवे (रज्जू मार्ग) का निर्माण किया गया था ताकि यात्रियों को मंदिर के दर्शन आसानी से हो सके एवं ज़िला पंचायत के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हो। रोपवे के निर्माण एवं संचालन का कार्य मे. उषा ब्रेको प्रा0 लि0 कलकत्ता को दिया गया था। उक्त कार्य हेतु दिनांक 22.12.1992 को निविदाएँ आमंत्रित की गई तथा उच्चतम बोलीदाता मे. उषा ब्रेकों प्रा0 लि0 कलकत्ता के साथ दिनांक 15.11.1994 को 30 वर्षों के लिए अनुबंध गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार कम्पनी से किए जाने वाले वसूली का विवरण निम्न प्रकार है-

1- 1 से 3 वर्ष के लिए ` 2,75,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का 2.5 *प्रतिशत* वार्षिक।

2- 4 से 6 वर्ष के लिए ` 3,25,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का 3 *प्रतिशत* वार्षिक।

3- 7 से 9 वर्ष के लिए ` 3,75,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का 4 *प्रतिशत* वार्षिक।

4- 10 से 12 वर्ष के लिए ` 4,25,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का 4 *प्रतिशत* वार्षिक।

5- 13 से 15 वर्ष के लिए ` 4,75,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का 4 *प्रतिशत* वार्षिक।

6- 16 से 18 वर्ष के लिए ` 4,75,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का 4 *प्रतिशत* वार्षिक।

7- 19 से 21 वर्ष के लिए ` 5,25,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का 4 *प्रतिशत* वार्षिक।

8- 22 से 24 वर्ष के लिए ` 5,75,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का 4 *प्रतिशत* वार्षिक।

9- 25 से 27 वर्ष के लिए ` 6,25,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का4 *प्रतिशत* वार्षिक।

10- 28 से 30 वर्ष के लिए ` 6,25,000 वार्षिक तथा रायल्टी के रूप में कुल राजस्व का 4 *प्रतिशत* वार्षिक।

अनुबंध के अनुसार लीज रेंट का भुगतान प्रत्येक वर्ष अग्रिम किया जाना था। प्रारम्भ में प्रति यात्री किराया `` 15 रखा गया था और यह प्रावधान था कि यदि 25 *प्रतिशत* से अधिक बढ़ोत्तरी की जाती है तो एजेंसी द्वारा ज़िला पंचायत से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उत्तर प्रदेश ज़िला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल एवं अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के नियम 10 के अनुसार यदि लीज अनुबंध की अवधि 30 वर्षों से अधिक है तो उसकी अनुमति शासन से लेनी होगी। उपर्युक्त लीज अनुबंध से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त लीज की अनुमति शासन से नहीं ली गई है केवल आयुक्त द्वारा संस्तुति दी गई है।

आगे, जांच में पाया गया कि ज़िला पंचायत द्वारा ऐसा कोई निगरानी तंत्र (Monitoring system/mechanism) नहीं बनाया गया है जिससे एजेंसी द्वारा प्राप्त राजस्व का सही आंकलन हो और ज़िला पंचायत को पूर्ण/पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति हो। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ज़िला पंचायत को माँ चंडी देवी रोपवे से टिकट

रॉयल्टी एवं लीज़ रेंट के रूप में कुल ` 58,48,042[1] की धनराशि प्राप्त हुई थी परंतु इसमें इस बात का उल्लेख नहीं था कि एजेंसी द्वारा कुल कितने टिकटों की बिक्री की गई थी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि टिकट रॉयल्टी उपयुक्त रूप से जमा की जा रही है।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि इस आशय का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा उसी के अनुक्रम में अनुपालन किया जाएगा। इकाई के उत्तर से ही पूर्णतया स्पष्ट है कि ज़िला पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से राजस्व प्राप्ति हेतु कोई निगरानी तंत्र नहीं बनाया गया था जिससे ज़िला पंचायत के निजी राजस्व में वृद्धि हो सके।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] लीज़ रेंट: ` 5,75,000 एवं टिकट रॉयल्टी: ` 52,73,042; योग: ` 58,48,042

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर 2 (अ)- विभव एवं सम्पत्ति कर के रूप में ` 51.89 लाख की वसूली न किया जाना।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 121 के अनुसार प्रावधानित है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर विभव एवं सम्पत्ति कर आरोपित किया जा सकता है, जो ग्राम्य क्षेत्र में रहता हो या व्यवसाय करता हो, प्रतिबंध यह है कि निर्धारणाधीन वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम छः महीने तक वह व्यक्ति इस प्रकार रहा हो या उसने इस प्रकार व्यवसाय किया हो तथा जिसकी कुल कर योग्य आय ` 12,000 से कम न हो।

इकाई के विभव एवं सम्पत्ति कर सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 में विभव एवं सम्पत्ति कर के मांग-वसूली का विवरण निम्नलिखित था:

(धनराशि ` लाख में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व शेष मांग	वर्तमान मांग	कुल मांग	कुल वसूली	अवशेष बकाया/ शेष मांग
2013-14	55.75	69.70	125.45	68.61	56.84 *(46 %)*
2014-15	56.84	59.26	116.10	59.26	56.84 *(49 %)*
2015-16	56.84	59.60	116.44	64.55	51.89 *(45 %)*

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2013-16 के दौरान कर की वसूली 45 से 49 *प्रतिशत* लम्बित थी। वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में ` 51.89 लाख की वसूली अवशेष थी।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं बकायेदारों को आर.सी. जारी की गई है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बकाए राजस्व की वसूली वर्ष के अंत तक कर ली जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर 2 (ब) - दुकानों के किराए के रूप में ` 9.75 लाख की बकाए की वसूली न किया जाना।

ज़िला पंचायत की निजी स्वामित्व वाली कुल आवंटित 290 दुकानों (12 स्थानों पर) से किराए की वसूली की जा रही थी। दुकानों के किराए की मांग-वसूली पंजिका एवं पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि मार्च 2016 के अंत तक कुल 160 बकाएदार थे, जिनकी मांग ` 20,58,155/- के सापेक्ष ` 7,85,995/- की वसूली की गई थी तथा कुल ` 12,72,160/- अवशेष बकाया था। इन बकायेदारों में से 55 ऐसे बकाएदार थे जिनसे वर्ष 2015-16 में कोई वसूली नहीं की गई थी।

(धनराशि ` में)

क्र. स.	स्थान(कुल दुकानों की संख्या	बकाये दारों की संख्या	पिछला बकाया	वर्तमान मांग	कुल मांग	वसूली	अवशेष बकाया	संख्या जिनसे वर्ष 2015-16 में कोई वसूली नही की गई
1.	झबरेडा,लढौरा, मंगलौर(66)	47	322965	164000	486965	172460	314505	18
2	भगवानपुर(84)	65	651000	394000	1045000	353650	691350	30
3	हरिद्वार, ज्वालापुर,लालढांग(46)	28	115250	224660	339910	155555	184355	06
4	सिविल लाइन, रामनगर, मो.स्रोत रुडकी (94)	20	67900	118380	186280	104330	81950	01
	महायोग(मार्च 2016 के अंत तक)(290)	160	1157115	901040	2058155	785995	1272160	55

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि आर-सी जारी करने के उपरांत मार्च 2016 के बाद से अभी तक (अक्टूबर 2016) ` 2,96,960 की वसूली की जा चुकी है एवं शेष के सम्बंध में कार्यवाही की जा रही है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बकाए किराए ` 9,75,2/- (` 12,72,160 – 2,96,960) की वसूली वर्ष के अंत तक कर ली जानी चाहिए थी।

अतः दुकान किराए के रूप में ` 9.75 लाख के बकाए की वसूली न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर 3- विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ` 137.74 लाख के निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाना।

वित्तीय नियमानुसार, किसी भी निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैसे: माप पुस्तिकाओं को उच्चाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित कराया जाना, कार्य योजना तैयार किया जाना, कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं उनका निरीक्षण किया जाना इत्यादि।

राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग मद में सम्पन्न कराये गए चयनित कार्यों ***(अनुलग्नक-1)*** की पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित कमियाँ पाईं गईं:

1. कार्य के सम्बंध में प्रस्ताव अथवा कार्य के औचित्य के सम्बंध में कोई तथ्य/ अभिलेख संलग्न नहीं थे।
2. गठित आगणन में नाले/ सी.सी. मार्ग की लम्बाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
3. निविदा प्रकाशन सम्बन्धी दस्तावेज़/ प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं थे।
4. माप पुस्तिकाओं को उच्चाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं कराया गया था।
5. कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी जिससे कि कार्य की प्राथमिकता/ आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके।
6. कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जाँच एवं उनका निरीक्षण नहीं किया गया था।

   उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त कामियों का भविष्य में पालन किया जाएगा।

   इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि किसी भी निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु उक्त समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है।

   अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक-1

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत (` लाख में)
	राज्य वित्त आयोग मद के कार्य	
1.	ग्राम शफीपुर सुभाषनगर में वासुदेव पंत के घर से प्रदीप के घर तक सी. सी. मार्ग	8.08
2.	ग्राम लालवाला में वाजिद के घर से नदी की ओर नाला निर्माण भाग-3	9.37
3.	ग्राम सिकंदरपुर भैंसवाल में आधेवाली मस्जिद के गेट से राव इरशाद के घर तक सी. सी. मार्ग	9.81
4.	ग्राम कलियर में रहमतपुर मेन रोड से सफाकत के घर तक सी. सी. मार्ग	9.93
	केंद्रीय वित्त आयोग मद के कार्य	
5.	रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जय ऑटो कम्पोनेंट से जे. एस. टेक्नॉलॉजी तक रोड के दूसरी तरफ नाला भाग-1	9.87
6.	जौनपुर खुर्द में मसव्वर की दुकान से तालाब की ओर नाला निर्माण	8.10
7.	ग्राम हबीबपुर कुर्डी में मस्जिद से पुलिया की ओर नाला निर्माण	8.00
8.	ग्राम सहीपुर में फैजगढ़ी सरदार के डेरे से उत्तर दिशा की ओर नाला निर्माण	7.80
9.	ग्राम फतवा में मेन रोड मंदिर से तालाब की ओर नाला निर्माण भाग-2	9.95
10.	ग्राम लालवाला में वाजिद के घर से नदी तक नाला भाग-1	9.86
11.	ग्राम नसीरपुर में रविदास मंदिर से प्रेम के घर तक नाला निर्माण भाग-1	9.45
12.	ग्राम शिवदासपुर तेलीनाला में तसव्वुर के घर से अख्तर के घर की ओर नाला निर्माण	9.80
13.	ग्राम नागल पलूनी में मुख्य सड़क से बलखीत के खेत तक नाला निर्माण	7.96
14.	ग्राम बहादुरपुर सैनी में सतीश के ट्यूबवेल से अशोक के खेत की ओर नाला भाग-1	9.99
15.	ग्राम कोटा मुरादनगर में स्कूल न. 1 से पंचायत घर होते हुये सुदेश मास्टर के घर तक नाली भाग-1	9.77
	योग-	137.74

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर-4 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में उपकर की कटौती का न तो प्रावधान किया जाना एवं न ही बिलों से कटौती किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 740/VIII/14-680 (श्रम)/2002 टी.सी.-II दिनांक 13.08.2014 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998" तथा "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" के अंतर्गत अधिनियम बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरांत उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं जैसे: पेंशन, दुर्घटना, मुआवज़ा, मृत्योपरांत सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल-किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किए जाने हेतु प्रावधान निहित किए गए हैं। उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्यों की लागत का एक *प्रतिशत* उपकर के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान था। उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत सरकारी/ गैर-सरकारी सभी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे हों। शासन के पत्र दिनांक 10.04.2013 द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के समस्त खंड विकास अधिकारी, मंडी परिषद के समस्त उप निदेशक (निर्माण) तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ताओं को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस संबंध में निर्माण कार्यों की लागत का एक प्रतिशत उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है।

निर्माण कार्यों से संबन्धित बिलों, व्ययकों एवं अन्य अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि ज़िला पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में न तो उपकर की कटौती का प्रावधान किया गया था एवं न ही ठेकेदारों के बिलों से उपकर की कटौती की गई थी। जिसके कारण उक्त धनराशि को कल्याण बोर्ड निधि में जमा नहीं कराया गया था।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उच्चाधिकारियों से आदेश लेने के उपरांत कार्यवाही की जाएगी, तदनुसार प्राक्कलन में प्रावधान किया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त के सम्बंध में शासनादेश जारी होने के दो वर्ष के उपरांत भी इस सम्बंध में इकाई द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार,**को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी.-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0

1	झबरेड़ा, लंढौरा, मंगलौर, लक्सर (66)	47	3,22,965	1,64,000	4,86,965	1,72,460	3,14,505	18
2	भगवानपुर (84)	65	6,51,000	3,94,000	10,45,000	3,53,650	6,91,350	30
3	हरिद्वार, ज्वालापुर, लालढ़ांग (46)	28	1,15,250	2,24,660	3,39,910	1,55,555	1,84,355	6
4	सिविल लाइन, रामनगर, मो.स्रोत रुड़की (94)	20	67,900	1,18,380	1,86,280	1,04,330	81,950	1
महायोग (मार्च 2016 के अंत तक) (290)		**160**	**11,57,115**	**9,01,040**	**20,58,155**	**7,85,995**	**12,72,160**	**55**